

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक :- डी०बी०टी०-PM-KISAN-मा०यो०-48/19 73 /कृ०, डी०बी०टी०, पटना, दिनांक 20/12/2019
प्रेषक,

धनन्जयपति त्रिपाठी,
अपर निदेशक (शष्प)-सह-
नोडल पदाधिकारी,
(पी०एम०-किसान)
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)

विषय :- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत आयोजित किये गये कैम्प से संबंधित व्यय के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र डी०बी०टी०-PM-KISAN-मा०यो०-48/19-235 कृषि पटना, दिनांक 06.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रचार-प्रसार प्रखंड स्तर पर दिनांक 10.09.2019 तक कैम्प आयोजित कर किये जाने का निर्देश दिया गया था। कैम्प आयोजन के लिए प्रति प्रखण्ड 5000 (पाँच हजार) रु० की राशि भारत सरकार द्वारा दिया जाना है। परन्तु आज तक कैम्प के आयोजन से संबंधित व्यय की राशि एवं अधियाचना प्रतिवेदन आप सभी से अप्राप्त है।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.12.2019 तक अपने-अपने जिला में आयोजित कैम्प से संबंधित व्यय एवं अधियाचना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

P. P. P.
19/12/19

(धनन्जयपति त्रिपाठी)
अपर निदेशक (शष्प)-सह-
नोडल पदाधिकारी,
(पी०एम०-किसान)
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 73

दिनांक :- 20/12/2019.

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्प) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

P. P. P.
19/12/19
अपर निदेशक (शष्प)-सह-
नोडल पदाधिकारी,
(पी०एम०-किसान)
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 73

दिनांक :- 20/12/2019.

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्प) सूचना/आई०टी० मैनेजर को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

P. P. P.
19/12/19
अपर निदेशक (शष्प)-सह-
नोडल पदाधिकारी,
(पी०एम०-किसान)
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

P. P. P.
19/12/2019